क्रमांक– 373/22/42/11
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग,जल संसाधन भवन,
तुलसी नगर, भोपाल–462003
दूरभाष–2552646,2552878 फेक्स 2552406
Email- encwrbpl@mp.nic.in

भोपाल, दिनांक .08.2018

प्रति,

समस्त मुख्य अभियंता

जल संसाधन विभाग

विषयः– साध्यता प्राप्त परियोजनाओं के डीपीआर प्रस्तुत करने बाबत ।

संदर्भः– इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 13.02.12, 26.07.13, 16.04.15, 12.01.17, 20.03.17, 12.03.18, 11.06.18

––00––

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों की निरन्तरता में लेख है कि स्पष्ट निर्देशों के बावजूद भी शासन से साध्यता प्राप्त लघु सिंचाई परियोजनाओं की इस कार्यालय में प्रस्तुत डीपीआर में अनेकों गुणात्मक कमियां पाई जा रही है। जिससे परियोजना के डीपीआर का कार्यालय में परीक्षण के दौरान बार–बार तकनीकी निराकरण की स्थिति निर्मित होती है तथा प्रकरण शासन को प्रस्तुत करने में विलम्ब होता है ।

अतः निम्न मार्गदर्शी बिन्दुओं का समावेश डीपीआर में सुनिश्चित करने हेतु परियोजना प्रस्ताव का समग्र वित्तीय एवं तकनीकी परीक्षण करने के उपरांत ही डीपीआर प्रस्तुत किये जावें :–

- (अ) टोपोशीट/इंडेक्स मेप/मानचित्र जिसमें परियोजना का स्थल, डूब (जल भराव) क्षेत्र /जल ग्रहण क्षेत्र एवं कमाण्ड क्षेत्र इत्यादि अलग–अलग रंगों में इंगित हो डीपीआर के साथ आवश्यक रुप से संलग्न किया जावे।
  (ब) परियोजना के डीपीआर के साथ चिन्हांकित परियोजना के अपस्ट्रीम/डाउन स्ट्रीम में स्थित निर्मित/निर्माणाधीन/ चिंहित परियोजनाओं की स्पष्ट जानकारी भी मानचित्र पर दर्शाया जाना आवश्यक है।
- शासन से प्राप्त साध्यता आदेश में दिये गये आवंटन अनुसार विस्तृत सर्वेक्षण एवं अनुसंधान के साथ–साथ आवश्यक सामग्री की गुणवत्ता एवं उपलब्धता का भी सर्वे कराया जावें। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन जल संसाधन विभाग द्वारा जारी पूर्व निर्देशों के अनुसार प्रस्तुत किया जावें, यह भी ध्यान रखा जावें कि टंकण की त्रृटि न हो ।
- यदि कोई अन्य परियोजना प्रस्तावित योजना से प्रभावित होती है तो उसका विवरण भी परियोजना प्रतिवेदन में होना आवश्यक है।
- कार्यालय परीक्षण के दौरान प्रायः देखा जा रहा है कि निर्मित किये जाने वाले मिट्टी बांध का सेक्शन बोधी के तकनीकी परिपत्र – 42 के निर्देशानुसार नही किया जा रहा है। अतः सुनिश्चित करे की मिट्टी बांध सेक्शन का निर्धारण तकनीकी परिपत्र – 42 दिनांक 17.01.2001 / आई.एस. 12169 के अनुसार ही किया जावे जिसमें मात्र 10 मीटर उंचाई तक के बांध हेतु मानक दिया गया है।
- 10 मीटर से अधिक ऊँचाई के बांध होने की स्थिति में स्टेबिलिटी विश्लेषण करवाकर ही बांध सेक्शन का निर्धारण करे एवं तदानुसार प्राक्कलन तैयार कराया जावे।

- जीवित जल भराव क्षमता का निर्धारण समसंख्यक निर्देश दिनांक 11.06.18 के अनुसार किया जाना सुनिश्चित करें।
- स्टाप डेम/बैराज संरचना होने की स्थिति में तकनीकी परिपत्र कमांक 30 एवं 36 जो लागू हो, के अनुसार प्रस्तुतिकरण सुनिश्चित किया जावे । Trial pit / bore holes की Loction एवं strata कार्यपालन यंत्री स्तर से प्रमाणित करते हुये स्पष्टता ड्राईंग पर बनायें जावें।
- परियोजना अधिकारियों द्वारा बाढ़ जल निकासी हेत्, प्रस्तुत व्यवस्था पर्याप्त विचार उपरांत नहीं की जा रही है, अपितु तदर्थ आधार पर की जा रही है । ध्यान रखा जावें कि स्पिल चैनल में शूटफाल आवश्यक होने की स्थिति में ऐसे स्थलों पर फ्लश बार के स्थान पर ओगी वियर आदि के प्रावधान का परीक्षण किया जावे । इससे केस्ट की लंबाई कम होगी एवं भू–अर्जन तथा शूटफाल की मात्राओं में पर्याप्त कमी आवेगी, साथ ही कई परियोजनाओं में Flood lift कम होगी एवं बांध का जल भराव भी अधिक किया जाना संभव हो सकेगा, इस हेतु पर्याप्त विचार एवं विश्लेषण करने के उपरांत ही अंतिम करें। ।
- यह भी पाया जा रहा है कि नहरो का आकार अत्यधिक रखा जाता है । अतः प्रस्तावित सिचाई क्षेत्र हेतु आवश्यक जल प्रवाह की गणना के अनुसार रुपांकन के उपरांत ही नहरो हेतु आवश्यक आकार निर्धारण किया जाना सुनिश्चित करें, जिससे परियोजनाओ की भू अर्जन तथा लागत में कमी आयेगी।
- इसी प्रकार नहर के रेखांकन निर्धारण का विस्तृत परीक्षण कर प्राक्कलन बनाते समय स्ट्रक्चर्स व्हीआरबी, फाल्स् इत्यादि का प्रावधान अतिआवश्यक स्थलों पर ही रखा जावे। अनावश्यक स्ट्रक्चर्स का प्रावधान नहीं करें।

(राजीव कुमार सुकलीकर)
प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग, भोपाल (म.प्र.)
भोपाल, दिनांक 10.08.2018

पृ.क कमांक– 373/22/42/11

प्रतिलिपिः–

1. समस्त अधीक्षण यंत्री————————————
2. समस्त कार्यपालन यंत्री ————————————
3. वेब मैनेजर,की ओर विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु ।

10/8/18
(राजीव कुमार सुकलीकर)
प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग, भोपाल (म.प्र.)

(1)

क्रमांक 373/22/42/11
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,
जल संसाधन विभाग, जल संसाधन
तुलसी नगर, भोपाल – 3

दिनांक : 13 /02/12

प्रति,

1. समस्त मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग,
2. संचालक, डाटा सेन्टर, भोपाल

विषयः प्रशासकीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले प्रस्तावों बावत् दिशा निर्देश ।

विषयान्तर्गत लेख है कि लघु सिंचाई योजनाओं के प्रशासकीय स्वीकृति प्रस्तावों में एक ओर जहॉ अनावश्यक विवरण अधिक होता है वहीं दूसरी ओर महत्वपूर्ण विवरण एवं अभिलेख संलग्न नहीं किये जाते है । अतः अनुरोध है कि निम्नानुसार अभिलेख निर्धारित क्रम में ही लगाकर प्रस्ताव प्रस्तुत किये जावे ।

1. List of officers with Mobile numbers (Form 133)
1(a) Form 141, 141(अ), 142, साध्यता स्वीकृति आदेश की प्रति ।
2. Brief description of Project.
3. Index Map
4. Constituency details.
5. General Report.
6. Proforma to accompany AA - T.C. 70.
7. Salient data of Project
8. Hydrology and Water Planning.
9. Fixation of Principal Levels.
10. Monthly water requirement.
11. Monthly working table.
12. Check list for A.A.
13. कलेक्टर का प्रमाण पत्र, उपसंचालक (कृषि) का अनुमोदित फसल चक्र, वनभूमि एवं अन्य स्मारक के डूब क्षेत्र से प्रभावित होने बावत प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र ।
14. तकनीकी स्वीकृती के आदेश की प्रति ।
15. B.C. Ratio.
16. Estimate
    (a) General Abstract - Unit-I
    (b) Abstract of Cost - Unit-I (Unitwise)
    (c) Utilisation of Materialsका विवरण ।
    (d) Consumption of Material का विवरण ।
    (e) भू–अर्जन की अद्यतन गाईड लाईन की सूची ।
    (f) General Abstract - Unit-II
    (g) Abstract of Cost - Unit-II (Unitwise)
    (h) Utilisation of Materials, consumption of materials etc.
17. Design of lined section of Canal and other structures
18. कृषकों की सूची एवं सहमति ।

19. Drawings

(i) Lead chart
(ii) Basin Plan and Grid
(iii) L-Section of Dam
(iv) Maximum Cross Section of Dam.
(v) L-Section and Grid Plan of Canals.
(vi) Typical Cross Section of Canal
(vii) L-Section of Spill Channel with plan.
(viii) Command Area Map.
(ix) Drawings of structures.

संलग्न : शून्य ।

प्रमुख अभियन्ता,
जल संसाधन विभाग,
भोपाल

क्रमांक 373/22/42/11
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26.07.2013

प्रति

मुख्य अभियंता, (समस्त)

जल संसाधन विभाग,

विषय. लघु सिंचाई योजनाओं के प्रशासकीय स्वीकृति, पुनरीक्षित प्रशासकीय के प्रकरणों को प्रस्तुत किये जाने के संबंध में ।

विषयांतर्गत लेख है कि लघु सिंचाई योजनाओं के प्रशासकीय स्वीकृति पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति के जो प्रकरण प्रमुख अभियंता कार्यालय में प्राप्त हो रहे हैं वह विभागीय दिशा निर्देशो एवं निर्धारित मापदण्डों के अनुसार समस्त वांछित प्रपत्रों, जानकारियों का समावेश किये बगैर प्रेषित किया जा रहे है जिसके कारण प्रस्तावों को शासन स्तर पर भेजे जाने में अनावश्यक विलम्ब होता है तथा प्रकरणों को मूल्य औपचारिकताओं का सुधार हेतु वापिस करना पड़ता है ।

प्राप्त प्रकरणों में मुख्यत: निम्न कमियॉ पाई जा रही है :

(अ) प्रशासकीय स्वीकृति के प्रकरणों में :-

1. इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 373/22/42/11 दिनांक 13.2.13 के अनुरूप सभी आवश्यक प्रपत्र एवं जानकारियॉ, प्रशासकीय स्वीकृति/ पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति के प्रकरणों में न होना (पत्र की प्रति संलग्न है) ।
2. प्रस्ताव सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति तथा अनुमोदित ड्रॉइंग संलग्न किये बगैर प्रस्तुत किया जाना ।
3. खुदाई से प्राप्त उपयोगी सामग्री को प्राक्कलन में शामिल नही किया जाना तथा इस संबंध में utilisation of material का statement संलग्न न किया जाना ।
4. प्रस्तुत प्रस्ताव की रिपोर्ट, प्राक्कलन एवं एबस्ट्रक्ट इत्यादि में मात्र अनुविभागीय अधिकारी एवं उपयंत्री के हस्ताक्षर होना ।
5. भू अर्जन प्राक्कलन पिछले वर्षों की भू अर्जन दरो के आधार पर तैयार किया जाना जबकि भू अर्जन का प्राक्कलन वर्तमान वर्ष की कलक्टर गाईड लाईन के अनुसार वर्तमान दर सूची की गाईड लाईन की प्रति संलग्न करते हुये प्रस्तुत किया जाना है ।

6. प्रस्ताव बिना स्वीकृत G-Schedule के प्रस्तुत किया जाना तथा शासन के पत्र क्रमांक एफ 22/9/2013/ल.सि./31(1387)/भोपाल, दिनांक 4.7.13 के अनुसार निविदा संबंधी विवरण संलग्न न किया जाना पत्र की प्रति संलग्न है ।

7. Water Planning, fixation of principal level इत्यादि की गणना विभाग के निर्धारित मापदण्ड तथा तकनीकी निर्देशानुसार प्रस्तुत नहीं किया जाना ।

(ब) **पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति के प्रकरण में :-**

1. प्राक्कलन निर्धारित 36 कॉलम (निर्माणाधीन योजना हेतु) तथा 30 कॉलम (पूर्ण योजना हेतु) में प्रस्तुत न किया जाना तथा उसकी राशि एवं अन्य आंकड़ों का मिलान संभाग स्तर वरिष्ठ कार्यालयों के स्तर तथा अन्य पर किये बगैर प्रस्तुत किया जाना ।
2. प्रकरणों में लागत वृद्धि के कारणों का विस्तार से जानकारी प्रस्तुत न किया जाना तथा लागत वृद्धि की स्वीकृति सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदाय की गई है अथवा नहीं इसका उल्लेख न किया जाना । पूर्ण की गई योजनाओं की Completion Drawing तथा निर्माणाधीन योजनाओं में पूर्ण किये जा चुके कार्यों तथा शेष कार्यों को अनुमोदित ड्राईंग में नहीं दर्शाया जाना इत्यादि ।

चूंकि प्रशासकीय स्वीकृति/पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति के प्रकरण सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति के पश्चात ही प्रमुख अभियंता कार्यालय को प्रेषित किया जाना है। अतः कार्यपालन यंत्री से लेकर मुख्य अभियंता स्तर के अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि प्रकरणों को आपके कार्यालय में पदस्थ कार्यपालन यंत्री (रुपांकन), सहायक यंत्री (रुपांकन) द्वारा पूर्ण परीक्षण पश्चात तथा स्वयं प्रकरणों से संतुष्ट होने के पश्चात ही प्रमुख अभियंता कार्यालय को प्रस्तुत किया जावे ताकि प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाने हेतु अनावश्यक विलम्ब न

कृपया अपने अधीनस्थ कार्यालयों/अधिकारियों को तदानुसार निर्देशित करने का कष्ट करें तथा स्वीकृतियों का समावेश करने के पश्चात ही प्रमुख अभियंता कार्यालय में प्रेषित करें ।

26.7

प्रमुख अभियंता

जल संसाधन विभाग, भोपाल

पृ0क्रमांक/373/22/42/11 भोपाल दिनांक 26-07-2013

प्रतिलिपि:

1. अधीक्षण यंत्री, जल संसाधन मंडल ....
2. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग .... की आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

27/7/13

प्रमुख अभियंता

जल संसाधन विभाग, भोपाल

(5)

क्रमांक 4221/46/2014
प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग,
जल संसाधन भवन, तुलसी नगर,

भोपाल, दिनांक 16/04/2015

प्रति,

समस्त मुख्य अभियंता
जल संसाधन विभाग
मध्यप्रदेश

विषय– तकनीकी स्वीकृति हेतु प्रमाण पत्र।

उपरोक्त संदर्भित विषय में महालेखाकार द्वारा प्राक्कलन में कमी के संबंध में विभाग का ध्यान आकर्षित किया गया है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 4221/46/2014 दिनांक 18.12.2014 के द्वारा इस संबंध में अवगत कराया गया है। यह अनुभव किया गया है कि प्राक्कलन बनाने में अभी भी अधिकारियों के द्वारा गम्भीरता से मात्राओं का आंकलन नही किया जा रहा है। जिसके कारण योजनाओं की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति एवं अतिरिक्त मात्राओं के अनेक प्रकरण प्राप्त हो रहे है। शासन के द्वारा ऐसे अनेक प्रकरणों में अनुशासनिक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये है।

अतः यह निर्देश किया जाता है कि भविष्य में कोई भी तकनीकी स्वीकृति जारी करने के पूर्व तकनीकी स्वीकृति जारी करने वाले अधिकारी से कनिष्ठ अधिकारियों उदाहरणार्थ– संभाग में संलग्न अधिकारी, मण्डल में एवं मुख्य अभियंता कार्यालय में कार्यपालन यंत्री (रूपां) के द्वारा प्रपत्र 195 में प्रमाण पत्र दिया जावे। प्रमाण पत्र 195 का प्रारूप संलग्न कर प्रेषित है। दिनांक 01 मई 2015 एवं इसके पश्चात् जारी तकनीकी स्वीकृतियों के उपरोक्त प्रमाण पत्र के बाद ही सक्षम अधिकारी तकनीकी स्वीकृति जारी करेंगे।

16.4.15

(एम.जी.चौबे)
प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग

FORM 195

CERTIFICATE FOR ACCORDING TECHNICAL SANCTION BY THE COMPETENT OFFICER.

(Certificate to be signed by the next lower officer to the competent officer)

CERTIFICATE

Certified that:-

1. Quantities are based on detailed survey and levelling.
2. Proper Geological investigation was done for preparation of estimate.
3. Preconstruction survey of construction material was conducted.
4. In case of lining of canal, swelling pressures were worked out to ascertain quantity of CNS material.
5. Ratio of concrete mixes have been taken as per Departmental Circulars and Codes.
6. Arithmetical checks have been exercised by the Draftsman of the office.
7. Soils obtained from housing for Sleepers, CNS, concrete lining, filter etc, have been considered for utilisation.
8. Provision for dewatering are limited.
9. Quantities of Hard rock have been precisely worked out.

Signature
Name
Designation

(7)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता
जल संसाधन विभाग, जल संसाधन भवन,
तुलसी नगर, भोपाल।

भोपाल दिनांक 12/01/2017

प्रति,

समस्त मुख्य अभियन्ता (सैदानी)
जल संसाधन विभाग, (म0प्र0)

विषय : लघु सिंचाई योजनाओं के प्रशासकीय स्वीकृति, पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रस्तावों के प्रकरणो को प्रस्तुत किये जाने के संबध में ।

संदर्भ : इस कार्यालय का समसंख्यक पत्र दिनांक 26.07.2013

प्रमुख अभियंता कार्यालय द्वारा विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशो एवं परिपत्रो का संकलन सभी अधिकारियो को प्रदाय किया गया हैं एव यह विभागीय वेबसाईट पर भी उपलब्ध कराये गये है। साथ ही आपसे प्राप्त विभिन्न प्रस्तावों के परीक्षण उपरांत अनेको बार आपके स्तर से पूर्ण जांच करने के उपरांत ही प्रकरण इस कार्यालय मे प्रस्तुत करने लिखा गया हैं, किन्तु नवीन सिंचाई योजनाओं निर्मित लघु सिंचाई योजनाओं के विशेष मरम्मत कार्य आरआरआर अंतर्गत प्रशासकीय स्वीकृति, पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति के प्रकरण प्रमुख अभियंता कार्यालय मे प्राप्त हो रहे है वह विभागीय दिशा निर्देशों एवं निर्धारित मापदण्डो के अनुसार न होकर अनावश्यक जानकारी एवं प्रपत्रो का समावेश कर प्रस्तुत किये जा रहे है। जिसके कारण प्रकरणो के परीक्षण एवं अंन्तिम निराकरण मे अनावश्यक विलम्ब होता है। मुख्यतः निम्न कमियां पायी जा रही है :–

(अ) प्रशासकीय स्वीकृति के प्रकरणों में :–

1. इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 26.07.2013 (छायाप्रति संलग्न) के अनुरुप आवश्यक दस्तावेज, प्रपत्र, जानकारियां इत्यादि संलग्न नहीं किया जाना।
2. सुस्पष्ट इंडेक्स मैप, जिसमें शीर्ष कार्य, डूब क्षेत्र, नहर कमांड निकटस्थ ग्राम, सड़क इत्यादि दर्शित हो, संलग्न नहीं किया जाना।
3. प्रस्ताव में संलग्न रिपोर्ट सुस्पष्ट नहीं होना एवं मुख्य अभियंता स्तर तक अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित नहीं होना।
4. सीमेंट कांक्रीट लाईनिंग कार्य हेतु प्रचलित एकीकृत दर सूची (01.04.16) के अध्याय 4 में निर्देश बिन्दु कमांक 7 एवं विभागीय स्पेसिफिकेशन के अध्याय 25 तथा बोधी द्वारा दिनांक 31.12.2016 को जारी तकनीकी परिपत्र क्रं. 60 मे दिये गये निर्देशानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जाना।

आवश्यकतानुसार पर्याप्त स्ट्रक्चरो का प्रावधान नहीं किया जाना।

6. प्राक्कलन, एबस्ट्रेक्ट में मात्र अनुविभागीय अधिकारी, उपयंत्री के हस्ताक्षर होना जबकि एब्सट्रेक्ट मे कार्यपालन यंत्री के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है।

7 अनेक दस्तावेजों पर मूल हस्ताक्षर के स्थान पर हस्ताक्षरो की छाया प्रति संलग्न किया जाना।

8. भू अर्जन प्राक्कलन में सिंचित, असिंचित भूमि का वर्गीकरण भू अभिलेख के वास्तविक आंकड़ो अनुसार नहीं किया जाना। साथ ही भू अर्जन प्राक्कलन में गणना प्रमुख अभियता के निर्देश 3484029/टीसी/2015 दिनांक 20.08.2015 के अनुसार नहीं किया जाना।

9. Water planning, Fixation of principal levels इत्यादि की गणना प्रमुख अभियता के परिपत्र 3732209/09 दिनांक 30.11.2010 के अनुसार नही किया जाना।

10. B.C.Ratio की गणना हेतु कृषि विभाग से Pre development cost of cultivation, yield, rates, Post developments cost of cultivation, yield, rates का प्रमाण पत्र नहीं लिया जाना जिससे एक ही जिले में, प्रस्तावित योजनाओं के B.C.Ratio गणना में भिन्नता रहती है।

11. प्रस्ताव में विभिन्न स्थानो पर उल्लेखित आंकड़ो मे एकरुपता नहीं होना।

12. बैराज/स्टापडेम के प्रस्तावों मे प्रपत्र 143 एवं 145 संलग्न नहीं किया जाना ।

13. संबंधित कलेक्टर , जिला योजना अधिकारी से प्राप्त प्रमाण पत्र हस्ताक्षरित नहीं होना।

(ब) पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति के प्रकरणों में :–

1. अनुविभागीय स्तर से प्रस्तुत तुलनात्मक प्रपत्र 36 कालम (निर्माणाधीन योजनाओं हेतु) 30 कालम (पूर्ण निर्मित योजनाओं हेतु) के आंकड़ो का मिलान किये बगैर प्रमुख अभियंता कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना। इसके अतिरिक्त प्रपत्र 161 एवं 204 में जानकारी प्रस्तुत नहीं किया जाना।

2. पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रस्ताव के स्थान पर मूल प्रशासकीय स्वीकृति प्रस्ताव हेतु निर्धारित प्रारुप मे ही भेजा जाना एवं अप्रासंगिक दस्तावेजो का संलग्न किया जाना।

3. नहर एवं शीर्ष कार्यो के फोटोग्राफ्स संलग्न नहीं किया जाना।

(स) विशेष मरम्मत कार्य के प्रशासकीय स्वीकृति के प्रकरणों में :–

1. रिपोर्ट में प्रस्तावित कार्यो की आवश्यकता , औचित्य पर टीप नहीं दी जाकर योजना के मूल प्रस्ताव की रिपोर्ट की प्रति एवं अन्य अनावश्यक कागज संलग्न कर किया जाना।

निरीक्षण प्रतिवेदन नहीं लगाया जाना ।

(द) आर.आर.आर. अंतर्गत प्रशासकीय स्वीकृति के प्रकरणों में :–

आर.आर.आर. गाईड लाईन के दिशा निर्देशानुसार अनुसार आवश्यक दस्तावेज, जानकारी, प्रपत्र, प्रमाण पत्र, यूनिक आई.डी. प्रस्तुत नही किये जा रहे है। जिससे केंद्रीय जल आयोग द्वारा अनेक आपत्तिया ली जाती है।

प्रशासकीय स्वीकृति/पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वींकृति, विशेष मरम्मत कार्य एवं आर आर.आर. के अंतर्गत प्रशासकीय स्वीकृति के प्रकरण सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति के पश्चात् ही प्रमुख अभियंता कार्यालय को प्रेषित किये जाते है। **अतः समस्त अधिकारियो से अपेक्षा की जाती है कि आपके कार्यालय मे पदस्थ कार्यपालन यंत्री (रुपांकन) एवं सहायक यंत्री (रुपांकन) द्वारा पूर्ण परीक्षण पश्चात् उक्त आशय के प्रमाण पत्र सहित ही प्रस्ताव प्रमुख अभियंता कार्यालय को प्रस्तुत किया जावे ताकि कार्यालयीन परीक्षण उपरांत शासन को प्रेषित किये जाने हेतु अनावश्यक विलम्ब ना हो ।**

कृपया अधीनस्थ अधिकारियों को तदानुसार निर्देशित करने का कष्ट करें।

सहपत्र : उपरोक्तानुसार।

(राजीव कुमार सुकलीकर)
प्रमुख अभियन्ता,
जल ससाधन विभाग,
भोपाल

पृ.क्र. 373/22/09/09 भोपाल दिनांक : 13/01/17

प्रतिलिपि :– 1. समस्त अधीक्षण यंत्री, जल संसाधन मंडल म.प्र.
2. समस्त कार्यपालन यंत्री, जल साधन संभाग म.प्र.
3. वेब मैनेजर, डाटा सेंटर, कोलार तिराहा, भोपाल (म0 प्र0) की ओर वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।

सहपत्र : उपरोक्तानुसार।

(राजीव कुमार सुकलीकर)
प्रमुख अभियन्ता,
जल संसाधन विभाग,
भोपाल

क्रमांक 373/22/42/11
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
जल संसाधन विभाग, जल संसाधन भवन,
तुलसी नगर, भोपाल।

भोपाल दिनांक / /2017

समस्त मुख्य अभियन्ता,

.....कछार,

जल संसाधन विभाग.....(म0प्र0)

विषय : बैराजों के प्रशासकीय स्वीकृति प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने बाबत्।

संदर्भ : स्थाई वित्तीय समिति की छठवीं बैठक वर्ष (2016.17) दिनांक 13.02.2017 का कार्यवाही विवरण।

—00—

प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु शासन को प्रस्तुत प्रस्तावों के परिपेक्ष्य में संदर्भित बैठक में निर्णय लिया गया है कि प्रस्ताव के साथ संलग्न इण्डेक्स मेप (टोपोशीट) पर प्रस्तावित, निर्माणाधीन, निर्मित एवं स्वीकृत समस्त जल संग्रहण संरचनाओं का विवरण अंकित कर एक दूसरे के मध्य की दूरी एवं नाम अंकित करते हुये पुनः प्रस्तुत किये जावें।

अतः आपके स्तर से संबंधित कार्यपालन यंत्री को निर्देशित करें कि पूर्व में प्रस्तुत समस्त बैराजो सहित वर्तमान में प्रस्तुत किये जा रहे प्रस्तावों में उपरोक्तानुसार विवरण अंकित कर प्रस्तावित बैराज का स्वतंत्र जलग्रहण क्षेत्र (Net Catchment area) बावत् प्रमाण पत्र के साथ भेजना सुनिश्चित करें।

संलग्न : एस.एफ.सी. कार्यवाही विवरण

(राजीव कुमार सुकलीकर)
प्रमुख अभियन्ता,
जल संसाधन विभाग,
भोपाल

पृ.क्र. 373/22/42/11 भोपाल, दिनांक : 20/03/2017

प्रतिलिपि :– वेब मैनेजर, डाटा सेंटर, कोलार तिराहा, भोपाल (म0प्र0) की ओर शीघ्र वेबसाइट पर दर्ज करने हेतु।

संलग्न : एस.एफ.सी. कार्यवाही विवरण

(राजीव कुमार सुकलीकर)
प्रमुख अभियन्ता,
जल संसाधन विभाग,
भोपाल

क्रमांक–373/22/20/2018(93)
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
जल संसाधन भवन, तुलसी नगर,भोपाल–462003
दूरभाष 2552646, 2552878, फैक्स 2552406,
Email ID- encwrbpl-mp@nic.in

भोपाल, दिनांक 12/03/2018

प्रति,

मुख्य अभियंता
समस्त

विषयः–नवीन प्रस्तावित परियोजना निर्माण स्थल के संदर्भ में प्रमाण पत्र ।

––00––

कृपया शासन निर्देशानुसार नवीन सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण स्थल के संबंध में, संलग्न प्रारूप अनुसार प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से डी.पी.आर. में संलग्न कर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें ।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

10/03/18
(राजीव कुमार सुकलीकर)
प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग म.प्र.

पृ. क्रमांक–373/22/20/2018(94) भोपाल, दिनांक 12/03/2018
प्रतिलिपिः–

वेब मैनेजर, कार्यालय परियोजना संचालक, पाइकू, भोपाल की ओर तुरन्त वेबसाइट पर दर्ज करने हेतु ।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

10/03/18
(राजीव कुमार सुकलीकर)
प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग म.प्र.

(12)

प्रमाण पत्र

अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा प्रस्तावित ----------परियोजना स्थल के संबंध में प्रमाणित किया जाता है कि :–

1. प्रस्तावित योजना अधिकतम जल संग्रहण हेतु प्रस्तावित की गई है। इससे अधिक जल भरांव क्षमता की योजना हेतु नदी/नाले पर अन्य स्थल उपलब्ध नहीं है ।
2. बांध निर्माण हेतु नदी/नाले पर तकनीकी रूप से उपयुक्त अन्य स्थल नहीं है ।
3. प्रस्तावित योजना से निर्मित/निर्माणाधीन किसी योजना के केचमेंट एवं कमांड एरिया पर विपरीत प्रभाव नहीं होगा ।

क्रमांक 373 / 22 / 42 / 2011
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग, तुलसी नगर,भोपाल 462003
दूरभाष 2552646 फैक्स 2552406
Email ID- encw-bpl-mp@nic-in

भोपाल दिनांक / /2018

प्रति,

समस्त मुख्य अभियन्ता,
जल संसाधन विभाग,
....
....

विषय : लघु सिंचाई योजनाओं के प्रशासकीय स्वीकृती / पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृती प्रस्तावो हेतु दिशानिर्देश।

सन्दर्भ: कार्यालयीन पत्र क्रमांक 373 / 22 / 09 / 09 भोपाल दिनांक 30 / 11 / 2010

— -00—

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा लघु सिंचाई योजनाओं के प्रस्तावो में जीवित जल भराव क्षमता का निर्धारण उपलब्ध जलग्रहण क्षेत्र के अनुसार 75% dependable Binnie's yield के साथ 90% diminishing factor को गणना में लेते हुए इसके 80% तक की क्षमता को जीवित जल भराव क्षमता रखे जाने के निर्देश जारी किये गये थे।

लघु परियोजनाओं में उक्तानुसार जीवित जल भराव क्षमता रखे जाने के कारण शेष जल मात्रा व्यर्थ बहकर निकल जाती है एवं कम क्षमता भंडारण से लाभ भी सीमित हो जाते है। उक्त परिपेक्ष्य में निर्देशित किया जाता है कि परियोजना स्थल पर उपलब्ध 75% dependable Binnie's Yield के साथ 90% diminishing factor के अनुसार गणना करते हुए लघु सिंचाई परियोजनाओं हेतु जीवित जल भराव क्षमता का निर्धारण किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

- हस्ता -
(राजीव कुमार सुकलीकर)
प्रमुख अभियन्ता,
जल संसाधन विभाग, भोपाल

दिनांक 11-06-18

क्रमांक –373 / 22 / 42 / 2011
प्रतिलिपि :–

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल
2. अधीक्षण यंत्री, जल संसाधन मंडल ....
3. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, ...
4. वेब मैनेजर, डाटा सेंटर, कोलार तिराहा, भोपाल (म0 प्र0) की ओर तुरन्त वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

8/6/18
(राजीव कुमार सुकलीकर)
प्रमुख अभियन्ता,
जल संसाधन विभाग, भोपाल